

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

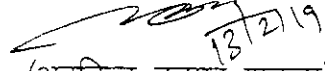
// आदेश //

क्रमांक 3/1141

जबलपुर, दिनांक 14 /02/2019

श्री रविशंकर यादव, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(पम्प अटेन्डेंट), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खंडपीठ इन्दौर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त भृत्य के पद वेतनमान रुपये 4440-7440/- + ग्रेड पे रु. 1300/- /-(7 वे वेतनमान में लेवल 1 पे मेट्रीक्स 15500-49000)पर पदोन्नत करते हुये, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ इन्दौर की स्थापना पर पदस्थ किया जाता है ।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार,

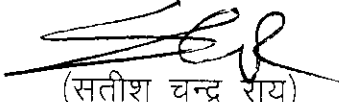

(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन 3/1142

जबलपुर, दिनांक 14 /02/2019

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर, इन्दौर, मध्यप्रदेश
2. रजिस्ट्रार (प्रशा.) / रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, इन्दौर ,
4. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
5. ज्वाइंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
8. सहायक, स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्री रविशंकर यादव, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(पम्प अटेन्डेंट), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खंडपीठ इन्दौर, इन्दौर म.प्र., की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)
for